

DVV Clarification

Metric ID :

2.5.3 Average teaching experience of full time teachers for the last completed academic year

DVV Query:

- Copy of the appointment letters of the fulltime teachers

Response:

The document was already uploaded in SSR. It is again being provided Copy of the appointment letters of the fulltime teachers for DVV clarification.



SANDIPANI
ACADEMY

2.53

Pendri (Masturi), Bilaspur-Shivrinarayan Road
District - Bilaspur - 495 551 (C.G.)
Mobile : +91 9752104140
Website : www.sandipanigroup.org
Email : bilaspur.sandipani@gmail.com

SA/Appointment/B.Ed./.....001

Date: 02/09/2021

प्रति,

डॉ. रीता सिंह
क्वा. नं. L/73, पो. - तिफरा,
यदुनंदन नगर, बिलासपुर (छ.ग.)

विषय: विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत प्राचार्य - बी.एड् पाठ्यक्रम के पद पर नियुक्ति बाबत।
संदर्भ: अटल बिहारी वाजपेयी वि.वि. बिलासपुर के पत्र क्र./599/अका./2021 बिलासपुर, दिनांक 27/08/2021.
महोदया,

विश्वविद्यालय परिनियम :- 28 के तहत प्राचार्य - बी.एड् पाठ्यक्रम के पद पर अटल बिहारी वाजपेयी वि.वि. द्वारा गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर विश्वविद्यालय व महाविद्यालय के शासी निकाय द्वारा आपके नाम का अनुमोदन कर दिया गया है। आपकी नियुक्ति आदेश विश्वविद्यालय के अनुमोदित पत्र क्र. 599/अका./ 2021 बिलासपुर दिनांक 27/08/2021 के आधार पर निम्न शर्तों के अधीन जारी की जा रही है :-

1. परीक्षा अवधि ज्वाइनिंग तिथि से दो वर्ष की होगी।
2. परीक्षा अवधि के दौरान यदि आपका कार्य सन्तोषजनक पाया जाता है तो आपको स्थायी रूप से नियुक्ति आदेश जारी किया जायेगा अन्यथा परीक्षा अवधि बढ़ाई जा सकती है।
3. यदि आप संस्था से नौकरी छोड़ना चाहते हैं, तो संस्था को कम से कम दो माह पूर्व लिखित सूचना देनी होगी अन्यथा दो माह का वेतन जमा करना होगा।
4. यदि आवश्यक हो तो आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता समय - समय पर जारी एन.सी.टी.ई. रेगुलेशन एवं अन्य संशोधन के अनुरूप अपग्रेड करना होगा।
5. यदि आपको संस्था द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है और जवाब से संतुष्ट नहीं होने की दशा में सेवा से पदच्युत करने की कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है।
6. संस्था के हितों के विपरीत यदि आपकी संलिप्तता पाई जाती है, तो आपको सेवा से पदच्युत करने की कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है।
7. यदि आपके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारियों तथा अन्य दस्तावेज गलत अथवा झूठ पाये जाते हैं अथवा आप शासन द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव आदि को पूरा नहीं करते हैं तो बिना किसी पूर्व सूचना के आपकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।
8. वि.वि. द्वारा जारी अनुमोदित पत्र के कमांक 06 में उल्लेखित शर्त को पूरा करने (कार्यभार ग्रहण करने से कम से कम एक शैक्षणिक सत्र तक महाविद्यालय से त्यागपत्र नहीं देने) हेतु वचन पत्र देना होगा।

यदि आप उक्त शर्तों से सहमत हैं, तो नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर पद भार ग्रहण करें अन्यथा यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

सधन्यवाद!

कृते सांदीपनी एकेडमी

12. Singh
02/09/2021

ICR Singh

M. Choudhary

महेन्द्र चौधे
(संचालक)

Registered Office : LIG-II/148, Sector-2, Pt. Jyoti Bazar, Bilaspur (C.G.) 492010

Principal
Department of Education
Sandipani Academy
Pendri (Masturi) Bilaspur (C.G.)

SA/ Appointment/Education/ 029

Date: 17/10/2016

प्रति,

कु. दीप्ती सिंह राठौर
शिव हनुमान मंदिर के पीछे
तिलक नगर, चांटापारा बिलासपुर (छ.ग.)

विषय: विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत सहायक प्राध्यापक शिक्षा के पद पर नियुक्ति बाबत।
महोदया,

विश्वविद्यालय परिनियम - 28 के तहत " सहायक प्राध्यापक - शिक्षा " के पद पर बिलासपुर वि.वि. द्वारा गठित चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर माननीय कुलपति महोदय बिलासपुर विश्वविद्यालय व महाविद्यालय के शासी निकाय द्वारा आपके नाम का अनुमोदन कर दिया गया है। आपकी नियुक्ति आदेश निम्न शर्तों के अधीन जारी की जा रही है:-

1. परीक्षा अवधि नियुक्ति पत्र जारी होने की तिथि से दो वर्ष होगी।
2. यदि आप संस्था में नौकरी छोड़ना चाहते हैं, तो संस्था को कम से कम दो माह पूर्व लिखित सूचना देनी होगी अन्यथा दो माह का वेतन जमा करना होगा।
3. यदि आपको संस्था द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है और जवाब से संतुष्ट नहीं होने की दशा में आपको सेवा से पदच्युत करने की कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी।
4. संस्था के हितों के विपरीत यदि आपकी संलिप्तता पाई जाती है, तो आपको सेवा से पदच्युत करने की कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी।
5. परीक्षा अवधि के दौरान यदि आपका कार्य सन्तोषजनक पाया जाता है तो आपको स्थायी रूप से नियुक्ति आदेश जारी किया जायेगा अन्यथा आपकी परीक्षा अवधि बढ़ायी जायेगी।
6. यदि आपके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी तथा अन्य दस्तावेज गलत अथवा झूठ पाये जाते हैं अथवा आप प्रशासन द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव आदि को पूरा नहीं करते हैं तो बिना किसी सूचना के आपकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।


यदि आप उक्त शर्तों से सहमत हैं, तो नियुक्ति आदेश जारी होने के एक माह के अन्दर पदभार ग्रहण करें अन्यथा यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

सधन्यवाद!



Principal
Department of Education
Masturi, Bilaspur (C.G.)

कृते सांदीपनी एकेडमी



(महेन्द्र चौधरी)
संचालक

SA/ Appointment/Education/027

Date: 17/10/2016

प्रति,

श्रीमती रश्मि चौबे
डी. - 33, कुबेर गृह निर्माण सहकारी समिति,
रोहणीपुरम, रायपुर (छ.ग.)

विषय: विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत सहायक प्राध्यापक शिक्षा के पद पर नियुक्ति बाबत।

महोदया,

विश्वविद्यालय परिनियम - 28 के तहत " सहायक प्राध्यापक - शिक्षा" के पद पर बिलासपुर वि.वि. द्वारा गठित चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर माननीय कुलपति महोदय बिलासपुर विश्वविद्यालय व महाविद्यालय के शासी निकाय द्वारा आपके नाम का अनुमोदन कर दिया गया है। आपकी नियुक्ति आदेश निम्न शर्तों के अधीन जारी की जा रही है:-

1. परीक्षा अवधि नियुक्ति पत्र जारी होने की तिथि से दो वर्ष होगी।
2. यदि आप संस्था में नौकरी छोड़ना चाहते हैं, तो संस्था को कम से कम दो माह पूर्व लिखित सूचना देनी होगी अन्यथा दो माह का वेतन जमा करना होगा।
3. यदि आपको संस्था द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है और जवाब से संतुष्ट नहीं होने की दशा में आपको सेवा से पदच्युत करने की कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी।
4. संस्था के हितों के विपरीत यदि आपकी संलिप्तता पाई जाती है, तो आपको सेवा से पदच्युत करने की कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी।
5. परीक्षा अवधि के दौरान यदि आपका कार्य सन्तोषजनक पाया जाता है तो आपको स्थायी रूप से नियुक्ति आदेश जारी किया जायेगा अन्यथा आपकी परीक्षा अवधि बढ़ायी जायेगी।
6. यदि आपके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारियाँ तथा अन्य दस्तावेज गलत अथवा झूठ पाये जाते हैं अथवा आप प्रशासन द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव आदि को पूरा नहीं करते हैं तो बिना किसी सूचना के आपकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।

यदि आप उक्त शर्तों से सहमत हैं, तो नियुक्ति आदेश जारी होने के एक माह के अन्दर पदभार ग्रहण करें अन्यथा यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

<Duplicate> SP, BILASPUR
EC991134503 IN
Counter No:2, Of-Code:00
To: RASHMI CHAUBEY,
RAIPUR, PIN:492001
From: SANDIPANI ACADEMY, BSP
Wt:10grams,
Aat:40.00, 18/10/2016, 17:56
Taxes:Rs.5.00<<Track on www.indiapost.gov.

सधन्यवाद!

Principal
Department of Education
Sandipani Academy
Pendri (Masturi), Bilaspur (C.G.)
Principal

कृते सांदीपनी एकेडमी

(महेन्द्र चौबे)
संचालक

SA/ Appointment/Education/024

Date: 17/10/2016

प्रति,

कु. नम्रता घोरे
दयालबंद चौक, बिलासपुर (छ.ग.)

विषय: विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत सहायक प्राध्यापक शिक्षा के पद पर नियुक्ति बाबत।

महोदया,

विश्वविद्यालय परिनियम - 28 के तहत "सहायक प्राध्यापक - शिक्षा" के पद पर बिलासपुर वि.वि. द्वारा गठित चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर माननीय कुलपति महोदय बिलासपुर विश्वविद्यालय व महाविद्यालय के शासी निकाय द्वारा आपके नाम का अनुमोदन कर दिया गया है। आपकी नियुक्ति आदेश निम्न शर्तों के अधीन जारी की जा रही है:-


1. परीक्षा अवधि नियुक्ति पत्र जारी होने की तिथि से दो वर्ष होगी।
2. यदि आप संस्था में नौकरी छोड़ना चाहते हैं, तो संस्था को कम से कम दो माह पूर्व लिखित सूचना देनी होगी अन्यथा दो माह का वेतन जमा करना होगा।
3. यदि आपको संस्था द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है और जवाब से संतुष्ट नहीं होने की दशा में आपको सेवा से पदच्युत करने की कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी।
4. संस्था के हितों के विपरीत यदि आपकी संलिप्तता पाई जाती है, तो आपको सेवा से पदच्युत करने की कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी।
5. परीक्षा अवधि के दौरान यदि आपका कार्य सन्तोषजनक पाया जाता है तो आपको स्थायी रूप से नियुक्ति आदेश जारी किया जायेगा अन्यथा आपकी परीक्षा अवधि बढ़ायी जायेगी।
6. यदि आपके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी तथा अन्य दस्तावेज गलत अथवा झूठ पाये जाते हैं अथवा आप प्रशासन द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव आदि को पूरा नहीं करते हैं तो बिना किसी सूचना के आपकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।

यदि आप उक्त शर्तों से सहमत हैं, तो नियुक्ति आदेश जारी होने के एक माह के अन्दर पदभार ग्रहण करें अन्यथा यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

सधन्यवाद!


Principal
Department of Education
Sandipani Academy
Pendri (Masturi) Bilaspur (C.G.)

कृते सांदीपनी एकेडमी


(महेन्द्र चौबे)
संचालक

SANDIPANI academy

Pendri (Masturi), Bilaspur-Janjgir Road
District - Bilaspur - 495 551 (C.G.)
Phone : 07752-644386
Mobile : +91 9752104140
Email : bilaspur.sandipani@gmail.com

SA/ Appointment/Education/030

Date: 17/10/2016

प्रति,

श्री उत्तम कुमार सोनी
क्वा. नं. - 156, जूनियर एम.आई.जी.
सेक्टर - 3, पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर,
रायपुर (छ.ग.)

विषय: विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत सहायक प्राध्यापक शिक्षा (Fine Arts) के पद पर नियुक्ति बाबत।
महोदय,

विश्वविद्यालय परिनियम - 28 के तहत "सहायक प्राध्यापक - शिक्षा (Fine Arts)" के पद पर बिलासपुर वि.वि. द्वारा गठित चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर माननीय कुलपति महोदय बिलासपुर विश्वविद्यालय व महाविद्यालय के शासी निकाय द्वारा आपके नाम का अनुमोदन कर दिया गया है। आपकी नियुक्ति आदेश निम्न शर्तों के अधीन जारी की जा रही है:-

1. परीक्षा अवधि नियुक्ति पत्र जारी होने की तिथि से दो वर्ष होगी।
2. यदि आप संस्था में नौकरी छोड़ना चाहते हैं, तो संस्था को कम से कम दो माह पूर्व लिखित सूचना देनी होगी अन्यथा दो माह का वेतन जमा करना होगा।
3. यदि आपको संस्था द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है और जवाब से संतुष्ट नहीं होने की दशा में आपको सेवा से पदच्युत करने की कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी।
4. संस्था के हितों के विपरीत यदि आपकी संलिप्तता पाई जाती है, तो आपको सेवा से पदच्युत करने की कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी।
5. परीक्षा अवधि के दौरान यदि आपका कार्य सन्तोषजनक पाया जाता है तो आपको स्थायी रूप से नियुक्ति आदेश जारी किया जायेगा अन्यथा आपकी परीक्षा अवधि बढ़ायी जायेगी।
6. यदि आपके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारीयों तथा अन्य दस्तावेज गलत अथवा झूठ पाये जाते हैं अथवा आप प्रशासन द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव आदि को पूरा नहीं करते हैं तो बिना किसी सूचना के आपकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।

यदि आप उक्त शर्तों से सहमत हैं, तो नियुक्ति आदेश जारी होने के एक माह के अन्दर पदभार ग्रहण करें अन्यथा यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

SP BILASPUR RMS <495004>
EC991134485 IN
Counter No:2, OP-Code:002
To:UTTAM KUMAR,
RAIPUR, PIN:492001
From:SANDIPANI ACADEMY, BSP
Wt:10grams,
Amt:40.00 (LFee:Rs.0.00), 18/10/2016 17:53
Taxes:Rs.5.00<<Track on www.indiapost.gov.in>>



सधन्यवाद!

Principal
Department of Education
Bilaspur
Sandipani Academy
Bilaspur (C.G.)
Pendri (Masturi), Bilaspur (C.G.)

कृते सांदीपनी एकेडमी

(महेन्द्र चौबे)
संचालक

SANDIPANI academy

Pendri (Masturi), Bilaspur-Janjgir Road,
District - Bilaspur - 495 551 (C.G.)
Phone : 07752-644386
Mobile : +91 9752104140
Email : bilaspur.sandipani@gmail.com

SA/ Appointment/Education/ 02

Date: 19/11/2016

प्रति,

श्री नीलकंठ साहू
GF5 कचन विहार कालोनी नियर डूमर तालाब,
आमानाका जिला - रायपुर (छ.ग.)

विषय: विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत Health & Physical Education के पद पर नियुक्ति बाबत।

महोदय,

विश्वविद्यालय परिनियम - 28 के तहत "Health & Physical Education" के पद पर बिलासपुर वि.वि. द्वारा गठित चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर माननीय कुलपति महोदय बिलासपुर विश्वविद्यालय व महाविद्यालय के शासी निकाय द्वारा आपके नाम का अनुमोदन कर दिया गया है। आपकी नियुक्ति आदेश निम्न शर्तों के अधीन जारी की जा रही है:-

1. परीक्षा अवधि नियुक्ति पत्र जारी होने की तिथि से दो वर्ष होगी।
2. यदि आप संस्था में नौकरी छोड़ना चाहते हैं, तो संस्था को कम से कम दो माह पूर्व लिखित सूचना देनी होगी अन्यथा दो माह का वेतन जमा करना होगा।
3. यदि आपको संस्था द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है और जवाब से संतुष्ट नहीं होने की दशा में आपको सेवा से पदच्युत करने की कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी।
4. संस्था के हितों के विपरीत यदि आपकी संलिप्तता पाई जाती है, तो आपको सेवा से पदच्युत करने की कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी।
5. परीक्षा अवधि के दौरान यदि आपका कार्य सन्तोषजनक पाया जाता है तो आपको स्थायी रूप से नियुक्ति आदेश जारी किया जायेगा अन्यथा आपकी परीक्षा अवधि बढ़ायी जायेगी।
6. यदि आपके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारीयों तथा अन्य दस्तावेज गलत अथवा झूठ पाये जाते हैं अथवा आप प्रशासन द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव आदि को पूरा नहीं करते हैं तो बिना किसी सूचना के आपकी सेवाये समाप्त कर दी जायेगी।

यदि आप उक्त शर्तों से सहमत हैं, तो नियुक्ति आदेश जारी होने के एक माह के अन्दर पदभार ग्रहण करें अन्यथा यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

सधन्यवाद!



Principal
Department of Education
Sandipani Academy
Pendri (Masturi) Bilaspur (C.G.)

कृते सांदीपनी एकेडमी



(महेन्द्र चौबे)
संचालक

N. Sahu
19/11/2016



SANDIPANI

academy

Pendri (Masturi), Bilaspur-Janjgir Road,
District - Bilaspur - 495 551 (C.G.)
Phone : 07752-644386
Mobile : +91 9752104140
Email : bilaspur.sandipani@gmail.com

SA/ Appointment/Education/193

Date: 19/11/2016

प्रति,

श्रीमती मीनाक्षी कुमारी
क्वा. नं. 335-B, जोन - 2,
स्ट्रीट नं 41 चरोदा
दूर्ग (छ.ग.)

विषय: विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत सहायक प्राध्यापक शिक्षा के पद पर नियुक्ति बाबत।

महोदया,

विश्वविद्यालय परिनियम - 28 के तहत "सहायक प्राध्यापक - शिक्षा" के पद पर बिलासपुर वि.वि. द्वारा गठित चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर माननीय कुलपति महोदय बिलासपुर विश्वविद्यालय व महाविद्यालय के शास्त्री निकाय द्वारा आपके नाम का अनुमोदन कर दिया गया है। आपकी नियुक्ति आदेश निम्न शर्तों के अधीन जारी की जा रही है:-

1. परिवीक्षा अवधि नियुक्ति पत्र जारी होने की तिथि से दो वर्ष होगी।
2. यदि आप संस्था में नौकरी छोड़ना चाहते हैं, तो संस्था को कम से कम दो माह पूर्व लिखित सूचना देनी होगी अन्यथा दो माह का वेतन जमा करना होगा।
3. यदि आपको संस्था द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है और जवाब से संतुष्ट नहीं होने की दशा में आपको सेवा से पदच्युत करने की कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी।
4. संस्था के हितों के विपरीत यदि आपकी संलिप्तता पाई जाती है, तो आपको सेवा से पदच्युत करने की कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी।
5. परिवीक्षा अवधि के दौरान यदि आपका कार्य सन्तोषजनक पाया जाता है तो आपको स्थायी रूप से नियुक्ति आदेश जारी किया जायेगा अन्यथा आपकी परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जायेगी।
6. यदि आपके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारियाँ तथा अन्य दस्तावेज गलत अथवा झूठ पाये जाते हैं अथवा आप प्रशासन द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव आदि को पूरा नहीं करते हैं तो बिना किसी सूचना के आपकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।

यदि आप उक्त शर्तों से सहमत हैं, तो नियुक्ति आदेश जारी होने के एक माह के अन्दर पदभार ग्रहण करें अन्यथा यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

सधन्यवाद!

(Signature)


Minakshi
22/11/16

Principal
Department of Education
Sandipani Academy
(Masturi) Bilaspur (C.G.)

कृते सांदीपनी एकेडमी

(Signature)

(महेन्द्र चौबे)



SA/ Appointment/B.Ed./294

Date: 30-08-2018

प्रति,

कु. कविता विश्वास
वार्ड नं. 38 , हेमूनगर
बिलासपुर (छ.ग.) 495001

विषय:- विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत सहायक प्राध्यापक (विज्ञान) शिक्षा के पद पर नियुक्ति बाबत।

संदर्भ :- बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर के पत्र क./1199/अका./2018 बिलासपुर, दिनांक 20/08/2018

महोदया,

विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत सहायक प्राध्यापक (विज्ञान) शिक्षा के पद पर बिलासपुर वि.वि. द्वारा गठित चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर विश्वविद्यालय व महाविद्यालय के शासी निकाय द्वारा आपके नाम का अनुमोदन कर दिया गया है। आपकी नियुक्ति आदेश विश्वविद्यालय के अनुमोदित पत्र क. 1199/अका./2018 बिलासपुर दिनांक 20/08/2018 के आधार पर निम्न शर्तों के अधीन जारी की जा रही है:-

1. परीक्षा अवधि नियुक्ति पत्र जारी होने की तिथि से दो वर्ष होगी।
2. परीक्षा अवधि के दौरान यदि आपका कार्य सन्तोषजनक पाया जाता है तो आपको स्थायी रूप से नियुक्ति आदेश जारी किया जायेगा अन्यथा आपकी परीक्षा अवधि बढ़ायी जायेगी।
3. यदि आप संस्था में नौकरी छोड़ना चाहते हैं, तो संस्था को कम से कम दो माह पूर्व लिखित सूचना देनी होगी अन्यथा दो माह का वेतन जमा करना होगा।
4. यदि आपको संस्था द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है और जवाब से संतुष्ट नहीं होने की दशा में आपको सेवा से पदच्युत करने की कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी।
5. संस्था के हितों के विपरीत यदि आपकी संलिप्तता पाई जाती है, तो आपको सेवा से पदच्युत करने की कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी।

यदि आपके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारियाँ तथा अन्य दस्तावेज गलत अथवा झूठ पाये जाते हैं अथवा आप प्रशासन द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव आदि को पूरा नहीं करते हैं तो बिना किसी सूचना के आपकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।

यदि आप उक्त शर्तों से सहमत हैं, तो नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिन के अन्दर पदभार ग्रहण करें अन्यथा यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

सधन्यवाद!

Kavita
10/09/2018

Lotan

Principal
Department of Education
Sandipani Academy
Pendri (Masturi) Bilaspur (C.G.)

कृते सांदीपनी एकेडमी

M. Choudhary
(महेन्द्र चौबे)
संचालक



SA/ Appointment/B.Ed./295

Date: 30-08-2018

प्रति,

कु. श्रीति मजूमदार
हीरो शोरूम के सामने नूतन चौक
बिलासपुर (छ.ग.) 495001

विषय:- विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत सहायक प्राध्यापक (विज्ञान) शिक्षा के पद पर नियुक्ति बाबत।

संदर्भ :- बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर के पत्र क./1199/अका./2018 बिलासपुर, दिनांक 20/08/2018

महोदया,

विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत सहायक प्राध्यापक (विज्ञान) शिक्षा के पद पर बिलासपुर वि.वि. द्वारा गठित चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर विश्वविद्यालय व महाविद्यालय के शासी निकाय द्वारा आपके नाम का अनुमोदन कर दिया गया है। आपकी नियुक्ति आदेश विश्वविद्यालय के अनुमोदित पत्र क. 1199/अका./2018 बिलासपुर दिनांक 20/08/2018 के आधार पर निम्न शर्तों के अधीन जारी की जा रही है:-

1. परीक्षा अवधि नियुक्ति पत्र जारी होने की तिथि से दो वर्ष होगी।
2. परीक्षा अवधि के दौरान यदि आपका कार्य सन्तोषजनक पाया जाता है तो आपको स्थायी रूप से नियुक्ति आदेश जारी किया जायेगा अन्यथा आपकी परीक्षा अवधि बढ़ायी जायेगी।
3. यदि आप संस्था में नौकरी छोड़ना चाहते हैं, तो संस्था को कम से कम दो माह पूर्व लिखित सूचना देनी होगी अन्यथा दो माह का वेतन जमा करना होगा।
4. यदि आपको संस्था द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है और जवाब से संतुष्ट नहीं होने की दशा में आपको सेवा से पदच्युत करने की कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी।
5. संस्था के हितों के विपरीत यदि आपकी संलिप्तता पाई जाती है, तो आपको सेवा से पदच्युत करने की कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी।
6. यदि आपके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारियाँ तथा अन्य दस्तावेज गलत अथवा झूठ पाये जाते हैं अथवा आप प्रशासन द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव आदि को पूरा नहीं करते हैं तो बिना किसी सूचना के आपकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।


यदि आप उक्त शर्तों से सहमत हैं, तो नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिन के अन्दर पदभार ग्रहण करें अन्यथा यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

सधन्यवाद!

कृते सांदीपनी एकेडमी



Principal
Department of Education
Sandipani Academy


(महेन्द्र चौबे)
संचालक

Pendri (Masturi) Bilaspur (C.G.)



SANDIPANI ACADEMY

SA/Appointment/B.Ed./298

Pendri(Masturi),Bilaspur-Shivrinarayan Road
District - Bilaspur - 495 591 (C.G.)
Mobile : +91 9755152052
Website : www.sandipanigroup.org
Email : sandipanieducation.masturi@gmail.com

Date: 30/08/2018

प्रति,

श्री विजय कुमार पाटिल
ग्राम-पो.- रेनो
जिला - बेमेतरा (छ.ग.)

विषय: - विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत सहायक प्राध्यापक **Performing Arts and Music** के पद पर नियुक्ति बाबत।

संदर्भ:- बिलासपुर विश्वविद्यालय के पत्र क्र. / 1199/अका./2018 बिलासपुर, दिनांक 20/08/2018

महोदय,


विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत सहायक प्राध्यापक (Performing Arts and Music) के पद पर बिलासपुर वि.वि. द्वारा गठित चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर वि.वि. व महाविद्यालय के शासी निकाय द्वारा आपके नाम का अनुमोदन कर दिया गया है। आपकी नियुक्ति आदेश वि.वि. के अनुमोदित पत्र क्र./1199/अका./2018 बिलासपुर, दिनांक 20/08/2018 के आधार पर निम्न शर्तों के अधीन जारी की जा रही है-

1. परीक्षा अवधि नियुक्ति पत्र जारी होने की तिथि से दो वर्ष होगी।
2. परीक्षा अवधि के दौरान यदि आपका कार्य संतोषजनक पाया जाता है तो आपको स्थायी रूप से नियुक्ति आदेश जारी किया जायेगा अन्यथा आपकी परीक्षा अवधि बढ़ायी जायेगी।
3. यदि आप संस्था में नौकरी छोड़ना चाहते हैं तो संस्था को कम-से-कम दो माह पूर्व लिखित सूचना देनी होगी अन्यथा दो माह का वेतन जमा करना होगा।
4. यदि आपको संस्था द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है और जवाब से संतुष्ट नहीं होने की दशा में आपको सेवा से पदच्युत करने की कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी।
5. संस्था के हितों के विपरीत यदि आपकी संलिप्तता पाई जाती है तो आपको सेवा से पदच्युत करने की कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी।
6. यदि आपके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारियां तथा अन्य दस्तावेज गलत अथवा झूठ पाये जाते हैं अथवा आप प्रशासन द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव आदि को पूरा नहीं करते हैं तो बिना किसी सूचना के आपकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।


यदि आप उक्त शर्तों से सहमत हैं तो नियुक्ति आदेश जारी होने के एक माह (30.09.2018) के अन्दर पदभार ग्रहण करें अन्यथा यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

सधन्यवाद!

Received
V. Patel
10/09/2018


Principal
Department of Education
Department of Education
Sandipani Academy
Pendri (Masturi) Bilaspur (C.G.)

कृते सांदीपनी एकेडमी


30/08/2018
प्राचार्य

SA/ Appointment/Education/297

Date: 30/08/2018

प्रति,

कुरेणु साहू
ग्राम - करी, पोस्ट - तरसीवा
धमतरी (छ.ग.)

विषय: - विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत सहायक प्राध्यापक (फाउंडेशन कोर्स) शिक्षा के पद पर नियुक्ति बाबत।

संदर्भ:- बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर के पत्र क्र./1199/अका./2018 बिलासपुर, दिनांक 20/08/2018 ।

महोदय,

विश्वविद्यालय परिनियम - 28 के तहत "सहायक प्राध्यापक (फाउंडेशन कोर्स) - शिक्षा" के पद पर बिलासपुर वि. वि. द्वारा गठित चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर माननीय कुलपति महोदय बिलासपुर विश्वविद्यालय व महाविद्यालय के शासी निकाय द्वारा आपके नाम का अनुमोदन कर दिया गया है। आपकी नियुक्ति आदेश निम्न शर्तों के अधीन जारी की जा रही है:-

1. परिवीक्षा अवधि नियुक्ति पत्र जारी होने की तिथि से दो वर्ष होगी।
2. यदि आप संस्था में नौकरी छोड़ना चाहते हैं, तो संस्था को कम से कम दो माह पूर्व लिखित सूचना देनी होगी अन्यथा दो माह का वेतन जमा करना होगा।
3. यदि आपको संस्था द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है और जवाब से संतुष्ट नहीं होने की दशा में आपको सेवा से पदच्युत करने की कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी।
4. संस्था के हितों के विपरीत यदि आपकी संलिप्तता पाई जाती है, तो आपको सेवा से पदच्युत करने की कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी।
5. परिवीक्षा अवधि के दौरान यदि आपका कार्य सन्तोषजनक पाया जाता है तो आपको स्थायी रूप से नियुक्ति आदेश जारी किया जायेगा अन्यथा आपकी परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जायेगी।
6. यदि आपके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी तथा अन्य दस्तावेज गलत अथवा झूठ पाये जाते हैं अथवा आप प्रशासन द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव आदि को पूरा नहीं करते हैं तो बिना किसी सूचना के आपकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।

यदि आप उक्त शर्तों से सहमत हैं, तो नियुक्ति आदेश जारी होने के एक माह के अन्दर पदभार ग्रहण करें अन्यथा यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

सधन्यवाद!

R. Sahu
10/09/18

Principal
Department of Education
Sandipani Academy
Pendra (Masturi) Bilaspur
कृते सांदीपनी एकेडमी
Chousey
(महेन्द्र चौबे)
संचालक

SA/ Appointment/Education/297

Date: 18-10-2018

प्रति,

श्रीमति मोना वर्मा
ग्राम - इंदरा नगर हथखोज,
भिलाई, (छ.ग.)

विषय: विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत सहायक प्राध्यापक (फाउंडेशन कोर्स) शिक्षा के पद पर नियुक्ति बाबत।

महोदय,

विश्वविद्यालय परिनियम - 28 के तहत "सहायक प्राध्यापक (फाउंडेशन कोर्स) - शिक्षा" के पद पर बिलासपुर वि.वि. द्वारा गठित चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर माननीय कुलपति महोदय बिलासपुर विश्वविद्यालय व महाविद्यालय के शासी निकाय द्वारा आपके नाम का अनुमोदन कर दिया गया है। आपकी नियुक्ति आदेश निम्न शर्तों के अधीन जारी की जा रही है:-

1. परीक्षा अवधि नियुक्ति पत्र जारी होने की तिथि से दो वर्ष होगी।
2. यदि आप संस्था में नौकरी छोड़ना चाहते हैं, तो संस्था को कम से कम दो माह पूर्व लिखित सूचना देनी होगी अन्यथा दो माह का वेतन जमा करना होगा।
3. यदि आपको संस्था द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है और जवाब से संतुष्ट नहीं होने की दशा में आपको सेवा से पदच्युत करने की कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी।
4. संस्था के हितों के विपरीत यदि आपकी संलिप्तता पाई जाती है, तो आपको सेवा से पदच्युत करने की कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी।
5. परीक्षा अवधि के दौरान यदि आपका कार्य सन्तोषजनक पाया जाता है तो आपको स्थायी रूप से नियुक्ति आदेश जारी किया जायेगा अन्यथा आपकी परीक्षा अवधि बढ़ायी जायेगी।
6. यदि आपके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारीयों तथा अन्य दस्तावेज गलत अथवा झूठ पाये जाते हैं अथवा आप प्रशासन द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव आदि को पूरा नहीं करते हैं तो बिना किसी सूचना के आपकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।

यदि आप उक्त शर्तों से सहमत हैं, तो नियुक्ति आदेश जारी होने के एक माह के अन्दर पदभार ग्रहण करें अन्यथा यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

सधन्यवाद!

Mona Verma
15/11/2018

सुनील

Principal
Department of Education
Sandipani Academy
Pendri (Masturi) Bilaspur

कृते सांदीपनी एकेडमी

महेन्द्र चौबे

(महेन्द्र चौबे)
संचालक



SANDIPANI ACADEMY

Pendri (Masturi) Bilaspur - Shivnarayan Road
District - Bilaspur - 495 551 (C.G.)
Mobile : +91 9755152052
Website : www.sandipanigroup.org
Email : sandipanieducation.masturi@gmail.com

SA(M)B/ Appointment/B.Ed./July/2021-400

Date: 01/07/2021

प्रति,

श्री ताराचंद तिवारी
गंगा नगर मंगला
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

विषय: - सहायक प्राध्यापक शिक्षा विभाग के पद पर-नियुक्ति बाबत।

महोदय,

आपके द्वारा सहायक प्राध्यापक शिक्षा विभाग के (Foundation Course) पद हेतु किये गये आवेदन के संदर्भ में संस्था द्वारा गठित साक्षात्कार की अनुशंसा के आधार पर आपसे साक्षात्कार में चर्चा के दौरान निश्चित किये गये वेतनमान पर सहायक प्राध्यापक (Foundation Course) के रूप में पूर्णतः अस्थाई तदर्थ आधार पर निम्न शर्तों के अधीन नियुक्ति दी जा रही है।

1. आपकी नियुक्ति केवल उसी दशा में स्थायी रूप में मानी जायेगी जब अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर परिनियम - 28 के अंतर्गत नियुक्ति हेतु गठित साक्षात्कार समिति द्वारा आपको चयनित किया जायेगा।
2. यदि आप विश्वविद्यालय परिनियम - 28 के अंतर्गत गठित साक्षात्कार समिति द्वारा आपको चयनित नहीं किये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।
3. महाविद्यालय प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि वह एक माह के पूर्व सूचना पर आपको कार्यभार से मुक्त कर सकता है। यदि आप महाविद्यालय छोड़ना चाहेंगे तो आपको एक माह पूर्व इसकी सूचना महाविद्यालय को देनी होगी अन्यथा एक माह का कूल वेतन जमा करना होगा।
4. यदि आपके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारियों तथा अन्य दस्तावेज गलत अथवा झूठ पाये जाते हैं अथवा आप प्रशासन द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव आदि को पूरा नहीं करते हैं तो बिना किसी सूचना के आपकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी। यदि आप उक्त कंडिका 01 से 04 तक के तथ्यों से सहमत हैं तो 02/08/2021 तक या पहले किसी भी कार्य दिवस में निम्नांकित दस्तावेजों सहित महाविद्यालय में आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करायें :-

यदि आप उक्त शर्तों से सहमत हैं, तो नियुक्ति आदेश जारी होने के एक माह के अन्दर पदभार ग्रहण करें अन्यथा यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

- अ. शैक्षणिक योग्यता संबंधी अंकसूचियों की सत्यापित छायाप्रति।
 - ब. दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
 - स. आयु दर्शाने वाला कोई प्रमाण पत्र।
 - द. वर्तमान में कार्यरत संस्था से त्यागपत्र तथा रिलिफिंग पत्र की छायाप्रति।
 - इ. अंतिम वेतन आहरण प्रमाण पत्र।
- यदि आप उपरोक्त तथ्यों से सहमत हैं तो डूप्लीकेट कॉपी में हस्ताक्षर करें।

Received
Tara Chand
5/7/2021

सधन्यवाद!

(Signature)
Principal
Department of Education
Sandipani Academy
Pendri (Masturi) Bilaspur (C.G.)

(Signature)
Principal
Department of Education
Sandipani Academy
Pendri (Masturi) Bilaspur (C.G.)

कृते सांदीपनी एकेडमी
(Signature)
01/07/2021
(डॉ. रीता सिंह)
प्राचार्य



SANDIPANI ACADEMY

Pendri (Masturi) Bilaspur - Shivnarayan Road
District - Bilaspur - 495 831 (C.G.)
Mobile : +91 9755152052
Website : www.sandipanigroup.org
Email : sandipanieducationmasturi@gmail.com

Date: 01/12/2021

SA(M)B/ Appointment/B,Ed./Dec./2021/456

प्रति,

श्री मुकेश खुटले,
खोमनपुर, पोस्ट - दशरंग,
मुंगेली (छोगो)

विषय: - सहायक प्राध्यापक शिक्षा विभाग के पद पर नियुक्ति बाबत।

महोदय,

आपके द्वारा सहायक प्राध्यापक शिक्षा विभाग के (Social Science) पद हेतु किये गये आवेदन के संदर्भ में संस्था द्वारा गठित साक्षात्कार की अनुशांसा के आधार पर आपसे साक्षात्कार में चर्चा के दौरान निश्चित किये गये वेतनमान पर सहायक प्राध्यापक (Social Science) के रूप में पूर्णतः अस्थाई तदर्थ आधार पर निम्न शर्तों के अधीन नियुक्ति दी जा रही है।

1. आपकी नियुक्ति केवल उसी दशा में स्थायी रूप में मानी जायेगी जब अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर परिनियम - 28 के अंतर्गत नियुक्ति हेतु गठित साक्षात्कार समिति द्वारा आपको चयनित किया जायेगा।
 2. यदि आप विश्वविद्यालय परिनियम - 28 के अंतर्गत गठित साक्षात्कार समिति द्वारा आपको चयनित नहीं किये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।
 3. महाविद्यालय प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि वह एक माह के पूर्व सूचना पर आपको कार्यभार से मुक्त कर सकता है। यदि आप महाविद्यालय छोड़ना चाहेंगे तो आपको एक माह पूर्व इसकी सूचना महाविद्यालय को देनी होगी अन्यथा एक माह का कूल वेतन जमा करना होगा।
 4. यदि आपके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारीयों तथा अन्य दस्तावेज गलत अथवा झूठ पाये जाते हैं अथवा आप प्रशासन द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव आदि को पूरा नहीं करते हैं तो बिना किसी सूचना के आपकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।
- यदि आप उक्त कंडिका 01 से 04 तक के तथ्यों से सहमत हैं तो 01.01.2022 तक या पहले किसी भी कार्य दिवस में निम्नांकित दस्तावेजों सहित महाविद्यालय में आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करायें :-

यदि आप उक्त शर्तों से सहमत हैं तो नियुक्ति आदेश जारी होने के एक माह के अन्दर पदभार ग्रहण करें अन्यथा यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

अ. शैक्षणिक योग्यता संबंधी अंकसूचियों की सत्यापित छायाप्रति।

ब. दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।

स. आयु दर्शाने वाला कोई प्रमाण पत्र।

द. वर्तमान में कार्यरत संस्था से त्यागपत्र तथा रिलिविंग पत्र की छायाप्रति।

इ. अंतिम वेतन आहरण प्रमाण पत्र।

यदि आप उपरोक्त तथ्यों से सहमत हैं तो डूप्लीकेट कॉपी में हस्ताक्षर करें।

सधन्यवाद!

Received
01/12/2021

R. Singh

Principal
Department of Education
Sandipani Academy
Pendri (Masturi) Bilaspur (C.G.)

कृते सांदीपनी एकेडमी
R. Singh
01/12/2021
प्राचार्य

Ref. SA(M)B/Appointment/Edu./May-2022/488

प्रति,

श्रीमति सुचित्रा डे
ए-11,जांबस् कास्टल,
मोपका रोड, बिलासपुर (छ.ग.)

Da



विषय: - सहायक प्राध्यापक गणित (शिक्षा विभाग) के पद पर नियुक्ति बाबत।
महोदय,

आपके द्वारा सहायक प्राध्यापक गणित (शिक्षा विभाग) के पद हेतु किये गये आवेदन के संदर्भ में संस्था द्वारा गठित साक्षात्कार की अनुशंसा के आधार पर आपसे साक्षात्कार में चर्चा के दौरान निश्चित किये गये वेतनमान पर सहायक प्राध्यापक गणित के रूप में पूर्णतः अस्थाई तदर्थ आधार पर निम्न शर्तों के अधीन नियुक्ति दी जा रही है।

1. आपकी नियुक्ति केवल उसी दशा में स्थायी रूप में मानी जायेगी जय अटल विहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर परिनियम - 28 के अंतर्गत नियुक्ति हेतु गठित साक्षात्कार समिति द्वारा आपको चयनित किया जायेगा।
2. यदि आप विश्वविद्यालय परिनियम - 28 के अंतर्गत गठित साक्षात्कार समिति द्वारा आपको चयनित नहीं किये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।
3. महाविद्यालय प्रबंधन को यह अधिकार हागा कि वह एक माह के पूर्व सूचना पर आपको कार्यभार से मुक्त कर सकता है। यदि आप महाविद्यालय छोड़ना चाहेंगे तो आपको एक माह पूर्व इसकी सूचना महाविद्यालय को देनी होगी अन्यथा एक माह का कूल वेतन जमा करना होगा।
4. यदि आपके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारीयों तथा अन्य दस्तावेज गलत अथवा असत्य पाये जाते हैं अथवा आप प्रशासन द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव आदि को पूरा नहीं करते हैं तो बिना किसी सूचना के आपकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।
5. यदि आप उक्त कंडिका 01 से 04 तक के तथ्यों से सहमत हैं तो 20/06/2022 तक या पहले किसी भी कार्य दिवस में निम्नांकित दस्तावेजों सहित महाविद्यालय में आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करायें :-

यदि आप उक्त शर्तों से सहमत हैं, तो नियुक्ति आदेश जारी होने के दो माह के अन्दर पदभार ग्रहण करें अन्यथा यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

- अ. शैक्षणिक योग्यता संबंधी अंकसूचियों की सत्यापित छायाप्रति।
 - ब. दो पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ।
 - स. आयु दर्शाने वाला कोई प्रमाण पत्र।
 - द. वर्तमान में कार्यरत संस्था से त्यागपत्र तथा रिलिविंग पत्र की छायाप्रति।
 - इ. अंतिम वेतन आहरण प्रमाण पत्र।
- यदि आप उपरोक्त तथ्यों से सहमत हैं तो डूप्लीकेट कॉपी में हस्ताक्षर करें।

सधन्यवाद!

JCR Singh

Principal
Department of Education
Sandipani Academy
Pendra (Masturi) Bilaspur (C.G.)

R. Singh
02/05/2022

प्राचार्य

डॉ. शीता सिंह
Principal

Department of Education
Sandipani Academy
Pendra (Masturi) Bilaspur (C.G.)
सादीपनी एकेडमी

Sudhanshu
04/07/22



SANDIPANI ACADEMY

Pendri (Masturi), Bilaspur, Shivnarayan Road
District - Bilaspur - 495 991 (C.G.)
Mobile : +91 9735152052
Website : www.sandipanigroup.org
Email : sandipanieducation.masturi@gmail.com

SA(M)B/ Appointment/B.Ed./2022/004

Date: 22/08/2022

प्रति,

श्रीमती सुधा गोयल
प्राथमिक शाला के पास दयालबंद टिकरा पारा रोड,
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

विषय: - सहायक प्राध्यापक शिक्षा विभाग के पद पर नियुक्ति बाबत।

महोदय,

आपके द्वारा सहायक प्राध्यापक शिक्षा विभाग के (सामाजिक विज्ञान) पद हेतु किये गये आवेदन के संदर्भ में संस्था द्वारा गठित साक्षात्कार की अनुशंसा के आधार पर आपसे साक्षात्कार में चर्चा के दौरान निश्चित किये गये वैतनमान पर सहायक प्राध्यापक (सामाजिक विज्ञान) के रूप में पूर्णतः अस्थाई तदर्थ आधार पर निम्न शर्तों के अधीन नियुक्ति दी जा रही है।

1. आपकी नियुक्ति केवल उसी दशा में स्थायी रूप में मानी जायेगी जब अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर परिनियम - 28 के अंतर्गत नियुक्ति हेतु गठित साक्षात्कार समिति द्वारा आपको चयनित किया जायेगा।
 2. यदि आप विश्वविद्यालय परिनियम - 28 के अंतर्गत गठित साक्षात्कार समिति द्वारा आपको चयनित नहीं किये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।
 3. महाविद्यालय प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि वह एक माह के पूर्व सूचना पर आपको कार्यभार से मुक्त कर सकता है। यदि आप महाविद्यालय छोड़ना चाहेंगे तो आपको एक माह पूर्व इसकी सूचना महाविद्यालय को देनी होगी अन्यथा एक माह का कूल वेतन जमा करना होगा।
 4. यदि आपके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारीयों तथा अन्य दस्तावेज गलत अथवा झूठ पाये जाते हैं अथवा आप प्रशासन द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव आदि को पूरा नहीं करते हैं तो बिना किसी सूचना के आपकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।
- यदि आप उक्त कंडिका 01 से 04 तक के तथ्यों से सहमत हैं तो 22/09/2022 तक या पहले किसी भी कार्य दिवस में निम्नांकित दस्तावेजों सहित महाविद्यालय में आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करायें :-

यदि आप उक्त शर्तों से सहमत हैं, तो नियुक्ति आदेश जारी होने के एक माह के अन्दर पदभार ग्रहण करें अन्यथा यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

अ. शैक्षणिक योग्यता संबंधी अंकसूचियों की सत्यापित छायाप्रति।

ब. दो पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ।

स. आयु दर्शाने वाला कोई प्रमाण पत्र।

द. वर्तमान में कार्यरत संस्था से त्यागपत्र तथा रिलिफिंग पत्र की छायाप्रति।

इ. अंतिम वेतन आहरण प्रमाण पत्र।

यदि आप उपरोक्त तथ्यों से सहमत हैं तो ड्रूपीकेट कॉपी में हस्ताक्षर करें।

Received
01/09/2022

[Signature]

सधन्यवाद!

[Signature]

Principal
Department of Education
Sandipani Academy
Pendri (Masturi) Bilaspur (C.G.)

कृते सांदीपनी एकेडमी

[Signature]
22/08/2022
(डॉ. रीता सिंह)
प्राचार्य